

**भाग-III****हरियाणा सरकार**

न्याय प्रशासन विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 29 जनवरी, 2016

**संख्या का0आ0 3/के0आ0 39/1987/धा0 28/2016-&** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 39), की धारा 28 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड), (ज) तथा (ड) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मुख्य न्यायाधीश, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लोक उपयोगी सेवा हेतु स्थाई लोक अदालत तथा ताल्लुक (उपमण्डल) विधिक सेवा समिति में ग्रुप ख, ग तथा घ के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**भाग-1****सामान्य**

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ग्रुप ख, ग तथा घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम, लागूकरण तथा प्रारम्भ।
- (2) ये नियम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लोक उपयोगी सेवा हेतु स्थाई लोक अदालत तथा ताल्लुक (उपमण्डल) विधिक सेवा समिति के ग्रुप ख, ग तथा घ के सभी सेवा के सदस्यों को लागू होंगे।
- (3) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
  - (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 39);
  - (ख) "नियुक्त प्राधिकारी" से अभिप्राय है, इन नियमों के नियम 6 के अधीन विभिन्न पदों के लिए नियुक्त प्राधिकारी के रूप में वर्णित कोई प्राधिकारी;
  - (ग) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष, लोक उपयोगी सेवा हेतु स्थाई लोक अदालत का अध्यक्ष या ताल्लुक (उपमण्डल) विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो;
  - (घ) "समिति" से अभिप्राय है, ताल्लुक (उपमण्डल) विधिक सेवा समिति;
  - (ड) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या उच्च न्यायालय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति से अन्यथा की गई कोई नियुक्ति;
  - (च) "जिला प्राधिकरण" से अभिप्राय है, अधिनियम में यथा परिभाषित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण;
  - (छ) "कार्यकारी अध्यक्ष" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष;
  - (ज) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
  - (झ) "संस्था" से अभिप्राय है, कोई संस्था जो सरकार द्वारा संस्था के रूप में घोषित की गई है;
  - (ञ) "सदस्य सचिव" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव;
  - (ट) "सेवा का सदस्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, स्थाई लोक अदालत या समिति के ग्रुप ख, ग तथा घ सेवा में किसी पद पर भर्ती किया गया कोई व्यक्ति;
  - (ठ) "मुख्य संरक्षक" से अभिप्राय है, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश;

- (ड) "स्थाई लोक अदालत" से अभिप्राय है, अधिनियम के अध्याय VI-क के अधीन यथा स्थापित लोक उपयोगी सेवा हेतु स्थाई लोक अदालत;
- (ढ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, भारत के किसी राज्य में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय;
- (ण) "सेवा" से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन ग्रुप ख, ग तथा घ सेवा, जैसी भी स्थिति हो;
- (त) "राज्य प्राधिकरण" से अभिप्राय है, अधिनियम में परिभाषित हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

## भाग - II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद शामिल होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात, राज्य प्राधिकरण के परामर्श से ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी या अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहत अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रियता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित न हो, -

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु उपरोक्त खण्ड (ख), (ग) या (घ) से सम्बन्धित कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, राज्य प्राधिकरण या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हो और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो और उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो राज्य प्राधिकरण को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अठारह वर्ष से कम अथवा बयालीस वर्ष से अधिक की आयु का ना हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. (1) राज्य प्राधिकरण के ग्रुप ख पद पर नियुक्ति या तो पदोन्नति द्वारा या सीधी नियुक्ति द्वारा या हरियाणा सरकार के अन्य विभागों से या उच्च न्यायालय या हरियाणा के जिला न्यायालयों से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(2) राज्य प्राधिकरण के ग्रुप ग तथा घ पदों पर नियुक्तियां कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी। ग्रुप ग पदों पर नियुक्ति या तो पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा या हरियाणा सरकार के अन्य विभागों से या उच्च न्यायालय या हरियाणा के जिला न्यायालयों से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा की जाएगी तथा ग्रुप घ पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

(3) स्थाई लोक अदालत के ग्रुप ग तथा घ पदों पर नियुक्तियां कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी। ग्रुप ग पदों पर नियुक्ति या तो पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा या हरियाणा सरकार के अन्य विभागों से या उच्च न्यायालय या हरियाणा के जिला न्यायालयों से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा की जाएगी तथा ग्रुप घ पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

(4) जिला प्राधिकरण तथा समिति के ग्रुप ग तथा घ पदों पर नियुक्तियां राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष की सिफारिश पर जिला प्राधिकरण के सम्बन्धित अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। ग्रुप ग पदों पर नियुक्ति या तो पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा या हरियाणा सरकार के अन्य विभागों से या उच्च न्यायालय या हरियाणा के जिला न्यायालयों से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा की जाएगी तथा ग्रुप घ पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी

7. कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर परिशिष्ट ख में वर्णित ढंगों में से किसी एक के सिवाय सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के उक्त परिशिष्ट के खाना 3 में विनिर्दिष्ट और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, तो कार्यकारी अध्यक्ष के विवेक पर अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में पचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जाएगी, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि कार्यकारी अध्यक्ष की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति को लागू स्वीय विधि के आधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकते हैं।

9. (1) जहां ग्रुप ख, ग या घ का कोई पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित है, तो कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण से कोई दो अधिकारियों को मिलाकर चयन समित गठित करेगा। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति मैरिट के अनुक्रम में उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी तथा उसे इसकी सिफारिश सहित कार्यकारी अध्यक्ष को उसके अनुमोदन हेतु भेजेगी। कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा दिए गए ऐसे अनुमोदन के बाद, नियमों के परिशिष्ट क में यथा वर्णित सेवा के पदों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर, स्वीकृत सभी अन्य पदों पर सभी नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त अनुमोदित सूची से की जाएगी।

(2) सीधी भर्ती की चयन सूची परिणामों की घोषणा की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी तथा इस अवधि के भीतर विज्ञापित पद किसी कारण से नहीं भरा जाता है या रिक्त रह जाता है, तो मैरिट के अनुसार प्रतीक्षा सूची, यदि कोई हो, के उम्मीदवारों में से भरा जाएगा। नियुक्ति हेतु अनुमोदन के मामले में कार्यकारी अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

10- (1) टंकण परीक्षा, लिपिकों, आशुलिपिकों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों तथा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिए सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुलिपिकों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों तथा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप-घ तथा रेस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) पास करने का विकल्प होगा। आशुलिपिकों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों तथा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तारयोग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा ( एस0ई0टी0सी0) अर्हक करनी होगी। ग्रुप-ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत किए गए हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तारयोग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा ( एस0ई0टी0सी0) अर्हक करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

नियुक्ति का ढंग तथा योग्यताएं।

अयोग्यता।

भर्ती।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप नियम (4) में पहले से यथा उपबन्धित पाठयक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करें पाठयक्रम के अनुसार टाईपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया पास प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(4) कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) के लिए पाठयक्रम में केवल वर्डप्रोसेसिंग, इन्टरनेट ब्राउजिंग तथा ई-मेल मनेजमेन्ट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाईपिंग स्पीड, चूंकि टाईपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जाएगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) देने से छूट दी जाती है :-

- (i) एम0टैक0/बी0टैक0 (कम्प्यूटर), एम0सी0ए0, बी0सी0ए0 या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पोलिटैनिक्स से कम्प्यूटर में डिप्लोमा,
- (ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन0आई0ई0एल0आई0टी0) (पूर्वी डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण पत्र,
- (iii) एच0के0सी0एल0 के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए0एल0सीज0) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एच0एस0सी0आई0टी0)
- (iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एस0ई0टी0सी0 पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) को हारट्रोन या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जाएगा; तथा
- (v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, परैलइसिस आफ रेडयल नर्व: (रेडयल नर्व: पालसी) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशन डिजेनरेटिव डिस्ऑर्डर जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा ( एस0ई0टी0सी0) की भागरूप टंकण परीक्षा पास करना अपेक्षित होगा।

पदोन्नति का ढग।

11. जहां कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हैं, तो यह कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठता एवं मैरिट के आधार पर की जाएगी तथा उक्त समिति की पदोन्नति हेतु उपयुक्तता विचारने हेतु इसकी अपनी मरजी की प्रक्रिया हो सकती है।

परिवीक्षा।

12. (1) सेवा में सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि दो वर्ष के लिए होगी जो राज्य प्राधिकरण के ग्रुप ख के कर्मचारियों की दशा में कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा और राज्य प्राधिकरण तथा स्थाई लोक अदालत के ग्रुप ग और घ के कर्मचारियों की दशा में सदस्य सचिव तथा जिला प्राधिकरण या समिति के कर्मचारियों की दशा में जिला प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, की सिफारिश पर सदस्य सचिव द्वारा इस प्रकार बढ़ाई जा सकती है कि कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, राज्य प्राधिकरण के ग्रुप ख के पद की दशा में कार्यकारी अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण तथा स्थाई लोक अदालत के ग्रुप ग तथा घ के पदों की दशा में सदस्य सचिव तथा जिला प्राधिकरण या समिति के कर्मचारियों की दशा में जिला प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, की सिफारिश पर कार्यकारी अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव,-

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक रहा हो तो,-

- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है;
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है।

(3) कार्यकारी अध्यक्ष ग्रुप ख के पद की दशा में, यदि उसकी परिवीक्षा संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो उसका कोई कारण बताए बिना सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति की सेवा परिवीक्षा या विस्तारित परिवीक्षा, जैसी भी स्थिति हो, की अवधि के दौरान किसी भी समय समाप्त कर सकता है।

(4) कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण या स्थाई लोक अदालत में ग्रुप ग अथवा घ की दशा में, यदि उसकी परिवीक्षा संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो उसका कोई कारण बताए बिना सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा या विस्तारित परिवीक्षा जैसी भी स्थिति हो, अवधि के दौरान किसी भी समय समाप्त कर सकता है या जिला प्राधिकरण या समिति में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्त करने के लिए जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को निर्देश कर सकता है।

(5) जब तक पुष्टि का अभिवक्त आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो नियुक्त व्यक्ति यदि परिवीक्षा अवधि या विस्तारित अवधि समाप्त हो गई हो, तब भी परिवीक्षा के अधीन समझा जाएगा।

**13.** सेवा के सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार अवधारित की जाएगी : वरिष्ठता।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवा के सदस्यों की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित मैरिट अनुक्रम वरिष्ठता नियत करते समय भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक तिथि को समरूप पद पर नियुक्त दो या दो से अधिक सेवा के सदस्यों की दशा में, उनकी वरिष्ठता निम्न प्रकार अवधारित की जाएगी,—

- (क) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सेवा का सदस्य सीधी भर्ती या स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;
- (ख) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवा का सदस्य स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;
- (ग) स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त सेवा के सदस्यों की दशा में, वरिष्ठता विभाग, जिससे वे प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरित किए गए थे, में ऐसे सदस्य की वरिष्ठता के अनुसार अवधारित की जाएगी;
- (घ) विभिन्न संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सेवा के सदस्यों की दशा में, उनकी वरिष्ठता वेतन के अनुसार अवधारित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर वेतनमान ले रहा था, और यदि ले रहे वेतन की दर भी समान हो, तो तब ऐसे सेवा काल के अनुसार अवधारित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सेवा का सदस्य छोटे सेवा के सदस्य से वरिष्ठ होगा;
- (ङ) विभिन्न संवर्गों से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त सेवा के सदस्यों की दशा में, उनकी वरिष्ठता वेतन के अनुसार अवधारित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर वेतनमान ले रहा था, और यदि ले रहे वेतन की दर भी समान हो, तो तब ऐसे सेवा काल के अनुसार अवधारित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सेवा का सदस्य छोटे सेवा के सदस्य से वरिष्ठ होगा।

**14.** कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य सचिव समय-समय पर हरियाणा राज्य के भीतर कहीं भी या राज्य प्राधिकरण के मुख्यालय पर या विलोमतः किसी समकक्ष पद पर सेवा के सदस्य को स्थानान्तरित कर सकता है। स्थानान्तरण और तैनाती।

**15.** (1) जब कभी राज्य प्राधिकरण अधिकारी/अमला को प्रतिनियुक्त पर लाते हुए पद भरने का विनिश्चय करता है, तो प्रतिनियुक्ति अवधि समान्यतः दो वर्ष की होगी तथा उसके बाद, राज्य प्राधिकरण अपने विवेक पर मूल विभाग की सहमति से, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसी और अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ा सकता है : प्रतिनियुक्ति तथा समावेशन।

परन्तु कर्मचारी के आवेदन पर कार्यकारी अध्यक्ष अपने विवेक से तथा सन्तुष्ट होने पर, किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो किसी पद पर प्रतिनियुक्त पर है तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण में दो वर्ष या अधिक के लिए कार्यरत हो, के समावेशन के लिए आदेश कर सकता है तथा ऐसा समावेशन मूल विभाग जहां अधिकारी/ कर्मचारी उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि से पूर्व तुरन्त कार्य कर रहा था, की अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रभावी होगा।

(2) जहां कर्मचारी किसी पद पर राज्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार समावेशित किया गया है, तो ऐसे कर्मचारी के आने से पूर्व उस द्वारा की गई सेवा राज्य सरकार में विद्यमान नियमों के अनुसार विचारी जाएगी:

परन्तु कर्मचारी की वरिष्ठता समावेशन की तिथि से गिनी जाएगी।

वेतन, छुट्टी,  
पेंशन तथा  
अन्य मामले।

**16.** (1) वेतन, छुट्टी, पेंशन, अधिवर्षिता, सुनिश्चित जीविका प्रगति हेतु उपबंध तथा ऐसे सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाये गये हो अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जाये।

(2) कोई व्यक्ति जो सेवा या पद से सेवानिवृत्त होता है, तो वह अधिवर्षिता पेंशन (किन्तु पेंशन की किसी अन्य श्रेणी के लिए नहीं) वास्तविक अवधि जो उसकी सेवा की अवधि से एक चौथाई से अधिक न हो या वास्तविक अवधि जिसकी भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक है या वास्तविक अवधि पांच वर्ष है, जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद—

(क) जिसके लिए वह वैज्ञानिक, शिल्पविज्ञानीय व्यवसायिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनुसंधान या विशिष्ट अर्हता या अनुभव आवश्यक है, पर नियुक्त किया गया है ; तथा

(ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष की अवधि की आयु के उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं, के लिए अपनी अर्हक सेवा जुड़वाने के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह छूट ऐसे किसी व्यक्ति को अनुज्ञेय नहीं होगी यदि उसकी वास्तविक सेवा, सेवा छोड़ते समय, दस वर्ष से कम हो :

परन्तु यह और कि यह छूट केवल ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञेय होगी जो उक्त अर्हताएं तथा अनुभव रखता हो तथा सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त किया हो :

परन्तु यह और कि यह छूट उस व्यक्ति को, जो अधिवर्षिता पेंशन की अपनी पूर्व सेवा गिनने के लिए पात्र है, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक वह अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व विकल्प का चुनाव नहीं करता है, पूर्व सेवा गिनते हुए पूर्वगामी सेवा के अधिमान हेतु, एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अन्तिम होगा।

अनुशासन  
शास्तियां तथा  
अपीलें।

**17.** (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी ऐसे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987के नियम 9 के उपनियम (1) के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथाविनिर्दिष्ट है।

(3) अपील में पारित किया गया आदेश अन्तिम होगा।

(4) इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी अपील,—

(i) अन्तर्वर्ती स्वरूप के किसी आदेश, जो अनुशासनिक कार्यवाहियों के अन्तिम निपटान के सहायक कदम के हैं, के विरुद्ध नहीं हो सकेगी ;

(ii) अन्तर्वर्ती हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के अधीन की गई किसी जांच के दौरान किसी जांच प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध नहीं हो सकेगी ;

(6) कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, अपीलार्थी को प्रदान करने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर नहीं की जाती है। अन्तिम ज्ञात पते पर संसुचित आदेश विधिवत् सूचित किए गए समझे जाएंगे, यदि जानबूझकर सेवा इन्कार या प्रत्याख्यान या अपवंचन किया गया है :

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि अपीलार्थी के पास समय पर अपील दायर नहीं करने के पर्याप्त कारण थे।

- 18.** सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसे निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा। टीका लगवाना।
- 19.** सेवा के प्रत्येक सदस्य को, जब तक कि उसने पहले ही ऐसा न कर लिया हो, भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ लेनी होगी। राजनिष्ठा की शपथ।
- 20.** यदि कार्यकारी अध्यक्ष की राय में, मुख्य संरक्षक से सम्यक् विचार-विमर्श के बाद, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग या इन नियमों के अन्तर्गत पदों के बारे में ऐसा कर सकता है। ढील देने की शक्ति।
- 21.** इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्धता।
- 22.** सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण, आयु में छूट, या अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों या किन्हीं अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी अन्य छूट के सम्बन्ध में जारी किया गया कोई आदेश/अधिसूचना ऐसी फेरफार, यदि कोई हो, जैसा राज्य प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करें, के अधीन यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा/होगी : आरक्षण।  
परन्तु ऐसी फेरफार इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण पॉलिसी की उल्लंघना नहीं होगी।
- 23.** यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है, तो कार्यकारी अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। निर्वचन।

**परिशिष्ट क**  
(देखिए नियम 3)

**भाग - 1**

वेतनमान सहित हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में विभिन्न नाम पद्धति सहित पदों की संख्या दर्शाते हुए विवरण :

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			रूपये	स्थायी	अस्थायी
<b>ग्रुप ख</b>					
1.	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800-5400 ग्रेड वेतन	—	1	1
2.	अधीक्षक	9300-34800-4200 ग्रेड वेतन	—	1	1
3.	विधि अधिकारी	9300-34800-4200 ग्रेड वेतन + 200 विशेष वेतन	—	1	1
<b>ग्रुप ग</b>					
4.	अनुभाग अधिकारी	9300-34800-4600 ग्रेड वेतन	—	1	1
5.	उप अधीक्षक	9300-34800-3600 ग्रेड वेतन	—	1	1
6.	निजी सहायक	9300-34800-3600 ग्रेड वेतन + 150 विशेष वेतन	—	1	1
7.	विधि सहायक	9300-34800-3300 ग्रेड वेतन	—	1	1
8.	लेखाकार	9300-34800-3200 ग्रेड वेतन	—	1	1
9.	सहायक	9300-34800-3200 ग्रेड वेतन	—	6	6
10.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	9300-34800-3200 ग्रेड वेतन	—	1	1
11.	आशुलिपिक	5200-20200-1900 ग्रेड वेतन	—	2	2
12.	लिपिक	5200-20200-1900 ग्रेड वेतन	—	4	4
13.	चालक	5200-20200-2400 ग्रेड वेतन	—	3	3
<b>ग्रुप घ</b>					
14.	सेवादार	4440-7440-1300 ग्रेड वेतन	—	6	6
15.	सेवादार-एवं-चौकीदार	4440-7440-1300 ग्रेड वेतन	—	1	1



**भाग-II**

वेतनमान सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में विभिन्न नाम पद्धति सहित पदों की संख्या दर्शाते हुए विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	कुल
<b>ग्रुप ग</b>					
1	सहायक	9300-34800-3200 ग्रेड वेतन	—	21	21
2	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	5200-20200-1900 ग्रेड वेतन	—	31	31
3	लिपिक	5200-20200-1900 ग्रेड वेतन	—	40	40
4	चालक	5200-20200-2400 ग्रेड वेतन	—	9	9
<b>ग्रुप घ</b>					
5	सेवादार	4440-7440-1300 ग्रेड वेतन	—	31	31

**भाग-III**

वेतनमान सहित लोक उपयोगी सेवा हेतु स्थायी लोक अदालत में विभिन्न नाम पद्धति सहित पदों की संख्या दर्शाते हुए विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	कुल
<b>ग्रुप ग</b>					
1	आशुलिपिक	5200-20200-1900 ग्रेड वेतन	—	11	11
<b>ग्रुप घ</b>					
2	सेवादार	4440-7440-1300 ग्रेड वेतन	—	11	11

**भाग-IV**

वेतनमान सहित उपमण्डल विधिक सेवा समिति में विभिन्न नाम पद्धति सहित पदों की संख्या दर्शाते हुए विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	कुल
<b>ग्रुप ग</b>					
1	लिपिक	5200-20200-1900 ग्रेड वेतन	—	24	24

**परिशिष्ट ख**  
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	प्रशासनिक अधिकारी	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित एम0बी0ए0 या एल0एल0बी0 या उसके समकक्ष; तथा (ख) किसी प्रशासनिक पद पर पांच वर्ष का अनुभव;	<b>पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा –</b> (क) अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;
2.	अधीक्षक	(क) 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक; तथा (ख) किसी पर्यवेक्षक हैसियत में पांच वर्ष का अनुभव;	<b>पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा –</b> (क) स्नातक या समकक्ष; (ख) उप अधीक्षक या निजी सहायक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव या सहायक या लेखाकार के रूप में दस वर्ष का अनुभव या दस वर्ष का संयुक्त अनुभव;
3.	विधि अधिकारी	(क) 55 प्रतिशत अंकों सहित विधि स्नातक; (ख) बार में सात वर्ष का विधि व्यवसाय; (ग) हिन्दी की जानकारी;	(क) कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले विधि सहायक में से पदोन्नति द्वारा ; (ख) कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले विधि अधिकारियों या कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले विधि सहायक में से स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
4.	अनुभाग अधिकारी	एस0ए0एस0 अर्हक	खजाना तथा लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा;
5.	उप अधीक्षक	(क) 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक; तथा (ख) किसी पर्यवेक्षक हैसियत में तीन वर्ष का अनुभव;	कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले सहायकों/लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा;
6.	निजी सहायक	(क) 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक; तथा (ख) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव तथा अंग्रेजी आशुलिपि/टंकण में प्रति मिनट 100/20 शब्द और हिन्दी आशुलिपि/टंकण में 80/15 की शब्द की गति रखता हो;	(क) कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाला वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा ; (ख) कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाला वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
7.	विधि सहायक	55 प्रतिशत अंकों सहित विधि स्नातक। बार में अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा;	कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले विधि स्नातक सहायकों/लेखाकारों या विधि स्नातक लिपिकों, जो पांच वर्ष का अनुभव रखते हों, में से पदोन्नति द्वारा ;

8.	लेखाकार	(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित वाणिज्य स्नातक और कंप्यूटर एपलिकेशन में डिग्री/डिप्लोमा धारक हो; (ख) लेखाकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव;	कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले लेखाकार के पद पर कार्यरत वाणिज्य स्नातक में से स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा;
9.	सहायक	कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित किसी शिक्षण में स्नातक डिग्री और कंप्यूटर एपलिकेशन में डिग्री/ डिप्लोमा धारक हो ;	(क) वरिष्ठता-एवं- मैरिट के आधार पर पांच वर्ष के अनुभव सहित लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; (ख) कंप्यूटर एपलिकेशन में डिग्री/ डिप्लोमा धारक सहायकों या पांच वर्ष के अनुभव सहित कंप्यूटर एपलिकेशन में डिग्री/ डिप्लोमा धारक लिपिकों या कंप्यूटर एपलिकेशन में डिग्री/ डिप्लोमा धारक सहायक तथा लिपिक के पद पर पांच वर्ष का संयुक्त अनुभव रखने वालों में से स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा;
10.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; (ख) अंग्रेजी आशुलिपि/टंकण में प्रति मिनट 100/20 शब्दों तथा हिन्दी आशुलिपि/टंकण में प्रति मिनट 80/15 शब्द की गति रखता हो ;	(क) वरिष्ठता-एवं-मैरिट के आधार पर पांच वर्ष के अनुभव सहित कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; (ख) पांच वर्ष का अनुभव सहित कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
11.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; (ख) अंग्रेजी आशुलिपि/ टंकण में प्रति मिनट 100/20 शब्द तथा हिन्दी आशुलिपि/टंकण में प्रति मिनट 80/15 शब्द की गति रखता हो;	वरिष्ठता-एवं-मैरिट के आधार पर तीन वर्ष के अनुभव तथा अंग्रेजी आशुलिपि/टंकण में प्रति मिनट 100/20 शब्द तथा हिन्दी आशुलिपि/टंकण में प्रति मिनट 80/15 शब्द की गति सहित आशु टंककों में से पदोन्नति द्वारा;
12	आशुलिपिक	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष; (ख) अंग्रेजी आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति तथा 15 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन तथा हिन्दी आशुलिपि में प्रति मिनट 64 शब्द की गति तथा 11 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन;	-
13	लिपिक(90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 10 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा)	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष; (2) एक विषय के रूप में हिन्दी सहित मैट्रिकुलेशन ; उच्चतर अर्हता धारक व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा।	कम से कम मैट्रिक या उसके समकक्ष अर्हता रखने वाले ऐसे पदों पर 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले सेवादार-एवं-चौकीदारों/सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा।

		<p>टिप्पणः— उम्मीदवारों की निम्नलिखित विषयों में लिखित परीक्षा ली जाएगी:—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th> <th>विषय</th> <th>अधिकतम अंक</th> <th>अर्हक अंक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>अंग्रेजी कम्पोजिशन</td> <td>100</td> <td>50 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>सामान्य ज्ञान</td> <td>100</td> <td>50 प्रतिशत</td> </tr> </tbody> </table> <p>कोई भी उम्मीदवार जब तक लिखित परीक्षा में कुलयोग में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता है तथा 30 शब्द प्रति मिन्ट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप टेस्ट पास नहीं करता है, नियुक्ति के लिए विचारा नहीं जाएगा।</p>	क्रम संख्या	विषय	अधिकतम अंक	अर्हक अंक	1.	अंग्रेजी कम्पोजिशन	100	50 प्रतिशत	2.	सामान्य ज्ञान	100	50 प्रतिशत	
क्रम संख्या	विषय	अधिकतम अंक	अर्हक अंक												
1.	अंग्रेजी कम्पोजिशन	100	50 प्रतिशत												
2.	सामान्य ज्ञान	100	50 प्रतिशत												
14	चालक	<p>(क) मैट्रिक;  (ख) कम से कम तीन वर्ष पुराना हल्का मोटर वाहन तथा मध्यम यात्रि मोटर वाहन वैद्य अनुज्ञप्ति होनी चाहिए;  (ग) समिति द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए;  (घ) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए;  (ङ) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ;  (च) लापरवाही चालन हेतु किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए।</p>	—												
15	सेवादार या सेवादार—चौकीदार	मिडल स्तर की परीक्षा तथा हिन्दी का ज्ञान रखता हो।	—												

## परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 17(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1.	ग्रुप ख सेवा का कोई सदस्य	कार्यकारी अध्यक्ष	1 छोटी शास्तियां 2 बड़ी शास्तियां (हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 में यथा विनिर्दिष्ट।)	कार्यकारी अध्यक्ष	मुख्य संरक्षक
2.	ग्रुप ग तथा घ सेवा का कोई सदस्य	नियम 6 के अनुसार सदस्य सचिव/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो।	1 छोटी शास्तियां 2 बड़ी शास्तियां (हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 में यथा विनिर्दिष्ट।)	नियम 6 के अनुसार सदस्य सचिव/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो।	कार्यकारी अध्यक्ष

## परिशिष्ट घ

{देखिए नियम 17 (2)}

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1.	ग्रुप ख सेवा का कोई सदस्य	(i) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय साधारण या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	कार्यकारी अध्यक्ष	मुख्य संरक्षक
2.	ग्रुप ग या घ सेवा का कोई सदस्य	(ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु पूरी होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	नियम 6 के अनुसार सदस्य सचिव/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।	कार्यकारी अध्यक्ष

पी0के0 दास,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorized English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT****ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT****Notification**

The 29th January, 2016

**No. S.O.3/C.A.39/1987/S.28/2016.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (e), (j) and (m) of sub-section (2) of section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act 39 of 1987), the Governor of Haryana, in consultation with the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the posts of Group B, C and D Services in Haryana State Legal Services Authority, District Legal Services Authority, Permanent Lok Adalat for Public Utility Services and Taluk (Sub-Divisional) Legal Services Committee, namely:-

**PART-I  
GENERAL**

- 1.** (1) These rules may be called the Haryana Legal Services Authority Group B, C and D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2016. Short title, applicability and Commencement.
- (2) These rules shall be applicable to all members of service of Group B, C and D of the Haryana State Legal Services Authority, District Legal Services Authority, Permanent Lok Adalat for Public Utility Services and Taluk (Sub-Divisional) Legal Services Committee.
- (3) These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
- 2.** In these rules, unless the context otherwise requires, - Definitions
- (a) “Act” means the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act 39 of 1987);
- (b) “Appointing Authority” means an authority mentioned as appointing authority for different posts under rule 6 of these rules;
- (c) “Chairman” means the Chairman of the District Legal Services Authority, Chairman of Permanent Lok Adalat for Public Utility Services, or Chairman of the Taluk (Sub-Divisional) Legal Services Committee, as the case may be;
- (d) “Committee” means the Taluk (Sub-Divisional) Legal Services Committee;
- (e) “direct recruitment” means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer/deputation of an official already in the service of the Government of India or of any State Government or any High Court;
- (f) “District Authority” means the District Legal Services Authority as defined in the Act.
- (g) “Executive Chairman” means the Executive Chairman of Haryana State Legal Services Authority;
- (h) “Government” means the Government of the State of Haryana in Administrative Department;
- (i) “institution” means an institution, which is declared by the Government to be an institution;
- (j) “Member Secretary” means the member secretary of the Haryana State Legal Services Authority;
- (k) “Member of Service” means a person recruited against any post in Group B, C or D Service of the Haryana State Legal Services Authority, District Authority, Permanent Lok Adalat or a Committee;

- (l) "Patron-in-Chief" means the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court;
- (m) "Permanent Lok Adalat" means Permanent Lok Adalat for Public Utility Services as established under Chapter VI-A of the Act;
- (n) "recognized university" means any university incorporated by law in any State of India;
- (o) "Service" means the Group B, C and D Service as the case may be, under these rules;
- (p) "State Authority" means the Haryana State Legal Services Authority as defined in the Act.

## PART-II

### RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts

**3.** The Service shall comprise of the posts shown in Appendix A to these rules: Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in the number of such posts with different designation and scales of pay either permanently or temporarily in consultation with the State Authority.

Nationality domicile and character of candidate appointed to service.

- 4.** (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,-
- (a) a citizen of India; or
  - (b) a subject of Nepal; or
  - (c) a subject of Bhutan; or
  - (d) a Tibetan refugee, who came over to India before the 1st day of January, 1962 with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to clause (b), (c) or (d) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the State Authority or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by the direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

**5.** No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, who is less than eighteen years or more than forty two years of age on the last date of submission of application to the State Authority.

Appointing Authority.

**6.** (1) Appointment to a Group B post of State Authority shall be made by the Executive Chairman, either by promotion or by direct appointment or by deputation/transfer from other Departments of Haryana Government or from High Court or District Courts of Haryana.

(2) Appointments to Group C and D posts of State Authority shall be made by the Member Secretary in consultation with Executive Chairman. Appointment to Group C posts shall be made either by promotion or by direct recruitment or by deputation/transfer from other Departments of the Haryana Government or from High Court or District Courts of Haryana and appointment to Group D posts shall be made by direct recruitment.

(3) Appointment to Group C and D posts of Permanent Lok Adalat shall be made by the Member Secretary in consultation with Executive Chairman. Appointment to Group C posts shall be made either by promotion or by direct recruitment or by deputation/transfer from other Departments of the Haryana Government or from High Court or District Courts of Haryana and appointment to Group D posts shall be made by direct recruitment.



(4) Appointments to Group C and D posts of District Authority and Committee shall be made by the respective Chairman of District Authority on the recommendation of Executive Chairman of State Authority. Appointment to Group C posts shall be made either by promotion or by direct recruitment or by deputation/transfer from other departments of the Government or from the High Court or District Courts of Haryana and appointment to Group D posts shall be made by direct recruitment.

7. No person shall be appointed to any post in the Service except by any one of the modes mentioned in Appendix B against the said post, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of the said Appendix to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Method of appointment and qualifications.

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of fifty percent at the discretion of the Executive Chairman in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Caste, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically handicapped candidates possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them and after recording reason for so doing in writing.

8. No person;-

Disqualifications.

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Executive Chairman may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person exempt any such person from the operation of this rule.

9. (1) Where any post in Group B, C or D is required to be filled up by way of direct recruitment, the Executive Chairman shall constitute a Selection Committee comprising of Member Secretary and any two officers from State Authority or District Authority. The Selection Committee on the basis of performance of candidates in the written examination and interview, shall prepare a list of candidates in order of merit and forward the same with its recommendation to the Executive Chairman for his approval. After such approval is granted by the Executive Chairman, all appointments to the posts in Service as set out in Appendix A of the rules and all other posts sanctioned by the State Government from time to time, shall be made from the said approved list by the appointing Authority.

Recruitment

(2) The select list of direct recruitment shall be valid for a period of one year from the date of declaration of results and any advertised post remaining unfilled or falling vacant due to any reason within this period, shall be filled from the candidates from the waiting list, if any, as per merit. The decision of Executive Chairman in the matter of approval for appointment shall be final.

10. (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/ appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Chowkidar and Peon etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC). The Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers shall also have to qualify stenography test as prescribed in Service Rules.

State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications

(2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typist shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.

(3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time, beside the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfillment of the prescribed condition in the Service Rules.

(4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.

(5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.

(6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC):-

- (i) M.Tech./B.Tech. (Computers), M.C.A., B.C.A. or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g. Polytechnics;
- (ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) {erstwhile DOEACC Society};
- (iii) Haryana State Certificate in Information Technology {HS-CIT} from the Authorized Learning Centers (ALCs) of the HKCL;
- (iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of five years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and

(v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand (Left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped, However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above. Shall be required to clear the "typing test" being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC).

Method of promotion

**11.** Where a post is required to be filled up by way of promotion, it shall be made on the basis of seniority-cum-merit by a Departmental Promotion Committee constituted by the Executive Chairan and the said Committee may device its own procedure for considering suitability for promotion.

Probation

**12.** (1) Direct recruit to the Service shall remain on probation for a period of two years, which may be so extended by the Executive Chairman in case of Group B employees of State Authority and by Member Secretary in case of Group C or D employees of State Authority and Permanent Lok Adalat; and by Member Secretary in case of employees of District Authority or Committee, on the recommendation of the Chairman of District Authority or Committee, as the case may be, as not to exceed a total period of three years.

(2) On completion of period of probation of a person, the Member Secretary with the approval of Executive Chairman in case of Group B post of State Authority, Member Secretary in case of Group C and D posts of State Authority and Permanent Lok Adalat and Member Secretary in case of employees of District Authority or Committee on the recommendation of the Chairman of District Authority or Committee, as the case may be, with the approval of Executive Chairman may,

(a) if his work and conduct has, in his opinion been satisfactory,-  
confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy;  
confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy.

(3) The Executive Chairman may at any time during the period of probation or the extended probation, as the case may be, dispense with the services of a direct appointee, in case of Group B post, if the same has been found to be not satisfactory, without assigning any reason thereof.

(4) The Member Secretary in consultation with the Executive Chairman, may at any time during the period of probation or the extended probation, as the case may be, dispense with the services of a direct appointee in case of Group C or D in State Authority or Permanent Lok Adalat or direct the Chairman of District Authority to dispense with the services of direct appointee of District Authority or Committee, if the same has been found to be not satisfactory, without assigning any reason thereof.

(5) Until and unless express order of confirmation is passed, appointee shall be deemed to be under probation, even if probation period or extended period of probation has expired.

**13.** Seniority, *inter se* of members of Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service: Seniority

Provided that in the case of members of Service appointed by direct recruitment, the order of the merit determined by the appointing authority shall not be disturbed in fixing the seniority;

Provided further that in the case of two or more members of Service being appointed to a similar post on the same date, their seniority shall be determined as follows,-

- (a) a member of Service appointed by promotion shall be senior to a member appointed by direct recruitment or transfer/deputation;
- (b) a member of Service appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by transfer/deputation;
- (c) in the case of a members of Service appointed by transfer/deputation, seniority shall be determined according to the seniority of such member in the department from which they were sent for deputation or transferred;
- (d) in the case of members of Service appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher scale of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of such service, and if length of service is also the same, the older member of Service shall be senior to the younger member of Service; and
- (e) in the case of members of Service appointed by deputation from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher scale of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of such service, and if length of service is also the same, the older member of Service shall be senior to the younger member of Service.

**14.** The Member Secretary in consultation with the Executive Chairman, may from time to time, transfer a member of Service to any equivalent post anywhere within the State of Haryana or to the Head Office of the State Authority or vice-versa. Transfer and posting.

Deputation and  
absorption.

**15.** (1) Whenever the State authority has decided to fill up a post by way of bringing an officer/staff on deputation, the period of deputation shall normally be two years and thereafter, the State Authority may at its discretion extend the period of deputation for such further period as it may consider necessary, with the concurrence of the parent department:

Provided that on the application of the employee, the Executive Chairman may in his discretion, and on being satisfied, order for absorption of any officer or other employee, who is on deputation to a post and has worked for two years or more with the State Authority or District Authority during the period of deputation and such absorption may be given effect after obtaining clearance of the parent department, where the officer/employee was working immediately preceding the period of his deputation.

(2) Where an employee has been thus absorbed by the State Authority on any post, the service of such employee rendered by him prior to his coming over shall be considered as per the rules prevailing in the State Government:

Provided that the Seniority of employee shall be counted from the date of absorption.

Pay, leave, pension  
and other matters.

**16.** (1) In respect of pay, leave, pension, superannuation, provision for Assured Career Progression and all other matters, not expressly provided for in these rules, a member of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

(2) A person who retires from Service or post shall be eligible to add to his Service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension) the actual period not exceeding one-fourth of the length of his service or the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty-five years or the actual period of five years, which ever is less, if the service of post to which he is appointed is one-

- (a) for which post graduate research or specialist qualification or experience in scientific, technological or professional fields, is essential; and
- (b) to which candidates of more than twenty five years of age normally recruited:

Provided that this concession shall not be admissible to a person if his actual qualifying Service at the time he quits Service is less than ten years:

Provided further that this concession shall be admissible only to a person who possess the aforesaid qualifications and experience and is appointed by direct recruitment:

Provided further that this concession shall not be admissible to a person who is eligible for counting his past service of superannuation pension, unless he opt before the date of his retirement, the option once exercised shall be final, for the weightage of service foregoing the counting of the past service.

Discipline, penalties  
and appeals

**17.** (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, the members of the Service shall be governed by Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987:

Provided that the nature of penalties, which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall also be specified in Appendix D to these rules.

(3) Order passed in appeal shall be final.

(4) Notwithstanding anything contained in these rules, no appeal shall lie against,-

- (i) any order of interlocutory nature or an order which is a step-in-aid of the final disposal of disciplinary proceedings;
- (ii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry held under Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987.

(5) No appeal shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of thirty days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant. The order communicated at the last known address shall be considered as duly conveyed, if there is a deliberate refusal or denial or evasion of service:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

- 18.** Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order. Vaccination
- 19.** Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India, as by law established. Oath of allegiance
- 20.** Where the Executive Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, after due consultation with the Patron-in-Chief by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts covered by these rules. Power of relaxation
- 21.** Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so. Special provisions
- 22.** Any order/notification issued by the Government from time to time with regard to reservation, relaxation of age, or any other concession in respect of Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Other Backward Classes or any other specific category of person shall apply mutatis mutandis subject to such variations, if any, as the State Authority may specify: Reservations
- Provided that such variations shall not be in contravention of the over-all policy in this regard.
- 23.** If any question arises as to the interpretation of these rules, the decision of the Executive Chairman shall be final. Interpretation.

**APPENDIX A***(See rule 3)***PART-I**

**Statement showing the number of posts with different nomenclature in the Haryana State Legal Services Authority with pay scale.**

Sr. No.	Post	Scale of pay (Rs.)	Number of posts		
			Permanent	Temporary	Total
<b>Group B</b>					
1.	Administrative Officer	9300-34800+5400 GP	-	1	1
2.	Superintendent	9300-34800+4200 GP	-	1	1
3.	Law Officer	9300-34800+4200 GP + 200 spl.	-	1	1
<b>Group C</b>					
4.	Section Officer	9300-34800+4600 GP	-	1	1
5.	Deputy Superintendent	9300-34800+3600 GP	-	1	1
6.	Personal Assistant	9300-34800+3600 GP + 150 spl. Pay	-	1	1
7.	Legal Assistant	9300-34800+3300 GP	-	1	1
8.	Accountant	9300-34800+3200 GP	-	1	1
9.	Assistant	9300-34800+3200 GP	-	6	6
10.	Senior Scale Stenographer	9300-34800+3200 GP	-	1	1
11.	Steno-Typist	5200+20200+1900 GP	-	2	2
12.	Clerk	5200+20200+1900 GP	-	4	4
13.	Driver	5200+20200+2400 GP	-	3	3
<b>Group D</b>					
14.	Peon	4440-7440+1300 GP	-	6	6
15.	Peon -cum- Chowkidar	4440-7440+1300 GP	-	1	1

**PART-II**

**Statement showing the number of posts with different nomenclature in the District Legal Services Authorities with pay scale.**

Sr. No.	Post	Scale of pay (Rs.)	Number of posts		
			Permanent	Temporary	Total
<b>Group C</b>					
1.	Assistant	9300-34800+3200 GP	-	21	21
2.	Junior Scale Stenographer	5200-20200+2400 GP	-	31	31
3.	Clerk	5200-20200+1900 GP	-	40	40
4.	Driver	5200-20200+2400 GP	-	9	9
<b>Group D</b>					
5.	Peon	4440-7440+1300 GP	-	31	31

**PART-III**

**Statement showing the number of posts with different nomenclature in the Permanent Lok Adalat for Public Utility Services with pay scale.**

Sr. No.	Post	Scale of pay (Rs.)	Number of posts		
			Permanent	Temporary	Total
<b>Group C</b>					
1.	Steno-Typist	5200-20200+1900 GP	-	11	11
<b>Group D</b>					
2.	Peon	4440+7440+1300 GP	-	11	11

**PART-IV**  
**Statement showing the number of posts with different nomenclature in the Sub Divisional Legal Services**  
**Committees with pay scale.**

Sr. No.	Post	Scale of pay (Rs.)	Number of posts		
			Permanent	Temporary	Total
<b>Group C</b>					
1.	Clerk	5200-20200+1900 GP	-	24	24

**Appendix B***(See rule 7)*

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Administrative Officer	(a) Degree of MBA or LL.B or equivalent thereto from any recognized university with minimum 55% marks; and (b) Five years experience on any administrative post;	By promotion or transfer/deputation (a) Five years experience as Superintendent,
2	Superintendent	(a) Graduation with minimum 55% marks; and (b) Five years experience in any supervisory capacity;	By promotion or transfer/deputation (a) graduate or equivalent; (b) at least five years experience as Deputy Superintendent or Personal Assistant or ten years experience as Assistant or Accountant or combined experience of ten years;
3	Law Officer	(a) Law Graduate with at least 55% marks; (b) seven years practice at the Bar; (c) Knowledge of Hindi;	(a) By promotion from amongst Legal Assistant having experience of at least 10 years; (b) By transfer/ deputation from amongst Law Officers having experience of at least 3 years or Legal Assistant having experience of atleast 10 years;
4	Section Officer	Qualified SAS	By deputation from Treasury and Accounts Department.
5	Deputy Superintendent	(a) Graduation with minimum 55% marks; and (b) 3 years experience in any supervisory capacity;	By promotion from amongst Assistants/ Accountants having experience of at least 5 years;
6.	Personal Assistant	(a) Graduation with minimum 55% marks; and (b) 3 years experience as Senior Scale Stenographer and having a speed of 100/20 words per minute in English shorthand/ typewriting and 80/15 words per minute in Hindi Shorthand/typewriting;	(a) By promotion from amongst Senior Scale Stenographers having experience of at least 5 years; (b) By transfer/ deputation from amongst Senior Scale Stenographers having experience of at least 5 years;
7	Legal Assistant	Law Graduate with at least 55% marks. Preference will be given to candidates having experience at the Bar;	By promotion from amongst law graduate Accountant/ Assistants having experience of at least 3 years or law graduate Clerks having experience of at least 5 years on such post;



8	Accountant	(a) Commerce graduate or MBA with at least 55% marks and holding degree/diploma in computer application; (b) 2 years experience as Accountant;	By transfer/ deputation from amongst commerce graduates working on the post of Accountant having experience of at least 5 years;
9	Assistant	Bachelor degree in any discipline with at least 55% marks and holding degree/diploma in computer application;	(a) By promotion from amongst the Clerks with five years experience, on the basis of seniority-cum-merit; (b) By transfer/ deputation from amongst the Assistants holding degree/diploma in computer application or Clerks with five years experience holding degree/diploma in computer application or five years combined experience on the post of Assistant and Clerk holding degree/diploma in computer application;
10	Senior Scale Stenographer	(a) Graduation from a recognized university; (b) Speed of 100/20 words per minute in English shorthand/typewriting and 80/15 words per minute in Hindi shorthand/typewriting;	(a) By promotion from amongst the Junior Scale Stenographer with 5 years experience on the basis of seniority-cum-merit; (b) By transfer/ deputation from amongst the Junior Scale Stenographers with five years experience;
11	Junior Scale Stenographer	(a) Graduation from a recognized university; (b) Speed of 100/20 words per minute in English shorthand/typewriting and 80/15 words per minute in Hindi Shorthand/typewriting;	By promotion from amongst the Steno-typists with 3 years experience, on the basis of seniority-cum-merit and speed of 100/20 words per minute in English shorthand/typewriting and 80/15 words per minute in Hindi shorthand/typewriting;
12	Steno-Typists	(a) Degree of Bachelor of Arts, Science, commerce or equivalent thereto from a recognized university; (b) Speed of 80 words per minute in English Shorthand and 15 words per minute in Transcription of the same and Speed of 64 words per minute in Hindi Shorthand and 11 words per minute in Transcription of the same;	

13	Clerks (90% by direct recruitment; and 10 % by promotion)	<p>(a) Graduation degree or equivalent thereto from a recognized University;</p> <p>(b) Matriculation with Hindi as one of the subject; Preference shall be given to the person holding higher qualification.</p> <p><b>Note:-</b> Candidates shall have to take a written examination in the following subjects:-</p> <table border="1" data-bbox="544 456 1091 645"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th> <th>Subject</th> <th>Maximum Marks</th> <th>Qualification marks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>English Composition</td> <td>100</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>General Knowledge</td> <td>100</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>No candidate shall be considered for appointment unless he obtains 55% marks in aggregate in the written examination and qualifies the type test in Hindi or English with minimum speed of 30 words per minute;</p>	Sr. No.	Subject	Maximum Marks	Qualification marks	1.	English Composition	100	50%	2.	General Knowledge	100	50%	By promotion from amongst the Peon-cum-Chowkidar/ Peon possessing minimum matric qualification or equivalent thereto, having 10 years experience as such ;
Sr. No.	Subject	Maximum Marks	Qualification marks												
1.	English Composition	100	50%												
2.	General Knowledge	100	50%												
14	Driver	<p>(a) Matric;</p> <p>(b) should have a light motor vehicle and medium passenger motor vehicle valid driving licence, at least three years old;</p> <p>(c) should have passed the driving test conducted by the Committee;</p> <p>(d) should not be Colour blind;</p> <p>(e) Hindi/ Sanskrit upto Matric standard or higher education;</p> <p>(f) Should not have been convicted for any offence for negligent driving;</p>													
15	Peon Or Peon-cum-Chowkidar	Middle standard examination and possessing knowledge of Hindi													

<b>Appendix C</b> <i>[See Rule 17 (1)]</i>					
Sr.No.	Designation of Post	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	Any member of Group B Service	Executive Chairman	1. Minor Penalties 2. Major Penalties [As specified in Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987.]	Executive Chairman	Patron-in-Chief
2	Any member of Group C or D Service	Member Secretary/ Chairman, District Legal Services Authority (as the case may be), as per rule 6	1. Minor Penalties 2. Major Penalties [As specified in Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987.]	Member Secretary / Chairman, District Legal Services Authority (as the case may be), as per rule 6	Executive Chairman

<b>Appendix D</b> <i>[See Rule 17 (2)]</i>				
Sr. No.	Designation of Post	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate Authority
1	Any member of Group B Service	(i) reducing or with holding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Executive Chairman	Patron-in-Chief
2	Any member of Group C or D Service	(ii) terminating the appointment of a member of service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation	Member Secretary / Chairman, District Legal Services Authority, as per rule 6	Executive Chairman

P. K. DAS,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Administration of Justice Department.